



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28082024-256700
CG-DL-E-28082024-256700

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 479]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2024/भाद्र 6, 1946

No. 479]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2024/BHADRA 6, 1946

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 518(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘(गक) “अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र” से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (छ) में यथा परिभाषित कोई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र अभिप्रेत है;

(ग्र) “अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण” से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित प्राधिकरण अभिप्रेत है।’।

3. उक्त नियम के नियम 19 में, उपनियम (2) के खंड (ख) में, चौथे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

‘स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, उपखंड (i) के उपबंध, किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी प्रतिभूतियां सूचीबद्ध करने की इच्छुक किसी आवेदक कंपनी को, या के संबंध में, इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि उस उपखंड में “पञ्चीस प्रतिशत” के प्रतिनिर्देश को, ऐसी कंपनी की निर्गम-पश्चात् पूंजी पर विचार किए बिना, “दस प्रतिशत” के प्रतिनिर्देश के रूप में समझा जाएगा, और उपखंड (ii), उपखंड (iii) और उपखंड (iv) लागू नहीं होंगे।’।

4. उक्त नियम के नियम 19क में, उपनियम (6) के स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

‘स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, उप नियम (1) से उप नियम (5) के उपबंध, किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी कंपनी को, या के संबंध में, इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि उन उप नियमों में “पञ्चीस प्रतिशत” के प्रतिनिर्देश को, “दस प्रतिशत” के प्रतिनिर्देश के रूप में समझा जाएगा, और उस कंपनी को उप नियम (5) का पहला परंतुक लागू नहीं होगा।’।

[फा. सं. 1/2/2024- पी एम]
सुरभि जैन, संयुक्त सचिव (वित्तीय बाजार)

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 में अधिसूचना सं. का.नि.आ. 576, तारीख 21 फरवरी, 1957 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधित किए गए:-

- (1) सा.का.नि. 1096, तारीख 14 जुलाई, 1967 ;
- (2) सा.का.नि. 685, तारीख 3 जून, 1972 ;
- (3) सा.का.नि. 959, तारीख 8 अगस्त, 1972 ;
- (4) सा.का.नि. 2641, तारीख 1 नवम्बर, 1975 ;
- (5) सा.का.नि. 1083, तारीख 11 नवम्बर, 1985 ;
- (6) सा.का.नि. 666(अ), तारीख 20 जुलाई, 1987 ;
- (7) सा.का.नि. 1070(अ), तारीख 15 नवम्बर, 1985 ;
- (8) सा.का.नि. 870(अ), तारीख 13 नवम्बर, 1992 ;
- (9) सा.का.नि. 617(अ), तारीख 20 सितम्बर, 1993 ;
- (10) सा.का.नि. 749(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 1994 ;
- (11) सा.का.नि. 790(अ), तारीख 7 नवम्बर, 1994 ;
- (12) सा.का.नि. 121(अ), तारीख 9 मार्च, 1995 ;
- (13) सा.का.नि. 291(अ), तारीख 27 मार्च, 1995 ;
- (14) सा.का.नि. 581(अ), तारीख 23 दिसम्बर, 1996 ;
- (15) सा.का.नि. 654(अ), तारीख 8 अगस्त, 2000 ;

- (16) सा.का.नि. 655(अ), तारीख 8 अगस्त, 2000 ;
- (17) सा.का.नि. 415(अ), तारीख 7 जून, 2001 ;
- (18) सा.का.नि. 696(अ), तारीख 28 अगस्त, 2003 ;
- (19) सा.का.नि. 395(अ), तारीख 10 जून, 2009 ;
- (20) सा.का.नि. 469(अ), तारीख 4 जून, 2010 ;
- (21) सा.का.नि. 662(अ), तारीख 9 अगस्त, 2010 ;
- (22) सा.का.नि. 705(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2013 ;
- (23) सा.का.नि. 21(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014 ;
- (24) सा.का.नि. 611(अ), तारीख 22 अगस्त, 2014 ;
- (25) सा.का.नि. 682(अ), तारीख 19 सितम्बर, 2014 ;
- (26) सा.का.नि. 819(अ), तारीख 18 नवम्बर, 2014 ;
- (27) सा.का.नि. 125(अ), तारीख 25 फरवरी, 2015 ;
- (28) सा.का.नि. 268(अ), तारीख 20 मार्च, 2017 ;
- (29) सा.का.नि. 664(अ), तारीख 27 जून, 2017 ;
- (30) सा.का.नि. 822(अ), तारीख 3 जुलाई, 2017
- (31) सा.का.नि. 675(अ), तारीख 25 जुलाई, 2018 ;
- (32) सा.का.नि. 738(अ), तारीख 3 अगस्त, 2018 ;
- (33) सा.का.नि. 189(अ), तारीख 19 मार्च, 2020 ;
- (34) सा.का.नि. 485(अ), तारीख 31 जुलाई, 2020 ;
- (35) सा.का.नि. 423(अ), तारीख 19 जून, 2021 ;
- (36) सा.का.नि. 520(अ), तारीख 30 जुलाई, 2021 ; और
- (37) सा.का.नि. 03(अ), तारीख 2 जनवरी, 2023 ।

**MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2024

G.S.R. 518(E).— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, namely:—

1. (1) These rules may be called the Securities Contracts (Regulation) Amendment Rules, 2024.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, after the clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:—
 - (ca) “International Financial Services Centre” means an International Financial Services Centre as defined in clause (g) of sub-section (1) of section 3 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
 - (cb) “International Financial Services Centres Authority” means the Authority established under sub-section (1) of section 4 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);’.
3. In the said rules, in rule 19, in sub-rule (2), in clause (b), after the fourth proviso, the following explanation shall be inserted, namely:—

“Explanation. – For the purposes of this clause, the provisions of sub-clause (i) shall apply to, or in relation to, an applicant company desirous of getting its securities listed on a recognised stock exchange in an International Financial Service Centre, subject to the modification that the reference to “twenty-five per cent.” in that sub-clause shall be construed as reference to “ten per cent.”, irrespective of the post issue capital of such company and sub-clauses (ii), (iii) and (iv) shall not apply.”.

4. In the said rules, in rule 19A, after the explanation to sub-rule (6), the following explanation shall be inserted, namely: –

“Explanation. – For the purposes of this rule, the provisions of sub-rules (1) to (5) shall apply to, or in relation to, a company listed on a recognised stock exchange in an International Financial Service Centre, subject to the modification that references to “twenty-five per cent.” in those sub-rules shall be construed as references to “ten per cent.” and the first proviso to sub-rule (5) shall not apply to such company.”.

[F. No. 1/2/2024-PM]

SURBHI JAIN, Jt. Secy. (Financial Markets)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 vide number S.R.O, dated the 21st February, 1957 and subsequently amended vide numbers as under:

- (1) G.S.R. 1096, dated the 14th July, 1967;
- (2) G.S.R. 685, dated the 3rd June, 1972;
- (3) G.S.R. 959, dated the 8th August, 1972;
- (4) G.S.R. 2641, dated the 1st November, 1975;
- (5) G.S.R. 1083, dated the 11th November, 1985;
- (6) G.S.R. 666(E), dated the 20th July, 1987;
- (7) G.S.R. 1070(E), dated the 15th November, 1988;
- (8) G.S.R. 870(E), dated the 13th November, 1992;
- (9) G.S.R. 617(E), dated the 20th November, 1993;
- (10) G.S.R. 749(E), dated the 12th October, 1994;
- (11) G.S.R. 790(E), dated the 7th November, 1995;
- (12) G.S.R. 121(E), dated the 9th March, 1995;
- (13) G.S.R. 291(E), dated the 27th March, 1995;
- (14) G.S.R. 581(E), dated the 23rd December, 1996;
- (15) G.S.R. 654(E), dated the 8th August, 2000;
- (16) G.S.R. 655(E), dated the 8th August, 2000;
- (17) G.S.R. 415(E), dated the 7th June, 2001;
- (18) G.S.R. 696(E), dated the 28th August, 2003;
- (19) G.S.R. 395(E), dated the 10th June, 2009;
- (20) G.S.R. 469(E), dated the 4th June, 2010;
- (21) G.S.R. 662(E), dated the 9th August, 2010;
- (22) G.S.R. 705(E), dated the 25th October, 2013;
- (23) G.S.R. 21(E), dated the 16th January, 2014;
- (24) G.S.R. 611(E), dated the 22nd August, 2014;
- (25) G.S.R. 682(E), dated the 22nd September, 2014;
- (26) G.S.R. 819(E), dated the 19th November, 2014;
- (27) G.S.R. 125(E), dated the 26th February, 2015;
- (28) G.S.R. 268(E), dated the 20th March, 2017;
- (29) G.S.R. 664(E), dated the 28th June, 2017;
- (30) G.S.R. 822(E), dated the 3rd July, 2017;
- (31) G.S.R. 675(E), dated the 25th July, 2018;
- (32) G.S.R. 738(E), dated the 3rd August, 2018;
- (33) G.S.R. 189(E), dated the 19th March, 2020;
- (34) G.S.R. 485(E), dated the 31st July, 2020;
- (35) G.S.R. 423(E), dated the 19th June, 2021;
- (36) G.S.R. 520(E), dated the 30th July, 2021 and
- (37) G.S.R. 03(E), dated the 2nd January, 2023.